

कृषि विभाग,
बिहार, विभाग।

पत्रांक- एन0एम0एस0ए0को0-31/2016-53 / कृ0 पटना, दिनांक- 29-03-2018

शुद्धि पत्र

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-एन0एम0एस0ए0को0-31/2016- 50 दिनांक- 27.03.2018 द्वारा राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) बिहार राज्य में 2017-18 में (केन्द्रांश 441.132 लाख रूपये एवं राज्यांश 294.089 लाख रूपये) कुल 735.221 लाख (सात करोड़ पैतीस लाख बाइस हजार एक सौ) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जिला कृषि पदाधिकारी बक्सर ने पत्रांक-462 दिनांक-28.03.2018 द्वारा सूचित किया है कि बी०टी०सी०-61 पर निकासी नहीं हो रही है एवं सहायक अनुदान की राशि की निकासी बी०टी०सी०-42 पर होगी। प्रशासी-सह-लेखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना ने एक अन्य मामले में अपने गैर सरकारी प्रेषण संख्या- 266 दिनांक 21.03.2018 द्वारा सूचित किया है कि सहायक अनुदान मद में उपबंधित राशि की निकासी बी०टी०सी०-42 पर ही करने का निदेश वित्त विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त है। तदनुकूल स्वीकृत्यादेश की कंडिका- 9 में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है।

पूर्व की स्वीकृति	संशोधित स्वीकृति
स्वीकृत राशि के अधीन आवंटन की गयी राशि की निकासी अनुसूची-1 में अकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अग्रिम के रूप में संबंधित कोषागार से की जायगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवंटित राशि बी०टी०सी० फार्म-61 पर संबंधित कोषागार से की जायेगी।	स्वीकृत राशि के अधीन आवंटन की गयी राशि की निकासी अनुसूची-1 में अकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से की जायगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवंटित राशि बी०टी०सी० फार्म-42 पर संबंधित कोषागार से की जायेगी। बिहार कोषागार नियमावली-271 (ख) के तहत बी०टी०सी० फार्म-42 ए मे उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायगा।

2. स्वीकृत्यादेश की सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

(Signature)
29-3-2018

(सुधीर कुमार)

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक - एन.एम.एस.ए.को.-31/2016-53 / कृ0, पटना, दिनांक- 29-03-2018
प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(Signature)
29-3-2018

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।


(Signature)

ज्ञापांक - एन.एम.एस.ए.को.-31/2016.....53...../ कृ0, पटना, दिनांक- 29-03/2018
प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28.3.2018


प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - एन.एम.एस.ए.को.-31/2016.....53...../ कृ0, पटना, दिनांक- 29/03/2018
प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित


28.3.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।


ज्ञापांक - एन.एम.एस.ए.को.-31/2016.....53...../ कृ0, पटना, दिनांक- 29/03/2018
प्रतिलिपि:- सभी सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी तथा उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28.3.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - एन.एम.एस.ए.को.-31/2016.....53...../ कृ0, पटना, दिनांक- 29/03/2018
प्रतिलिपि:- कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना-सह-प्रभारी पदाधिकारी NMSA कोषांग/नोडल पदाधिकारी, परम्परागत कृषि विकास योजना/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सहायक निदेशक, उद्यान, सभी/प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य) योजना, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों तथा सभी कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।


28.3.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

